भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 2079
04 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 का कार्यान्वयन

2079. श्री हनुमान बैनिवाल:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 को देश में कार्यान्वित कर दिया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों/शहरी इकाइयों में उक्त अधिनियम के अनुपालन के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2014, 1 मई 2014 से लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य शहरी पथ विक्रेताओं के अधिकारों का संरक्षण करना और पथ विक्रेता क्रियाकलापों एवं इनसे जुड़े मामलों या प्रासंगिक मामलों को विनियमित करना है। इस अधिनियम को जम्मू और कश्मीर, जिस पर इसे लागू नहीं किया गया है और मेघालय, जिसका अपना मेघालय पथ विक्रेता अधिनियम, 2014 है, को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपना लिया है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम के प्रावधान किसी भूमि, परिसर और रेल अधिनियम, 1989 के अंतर्गत रेलवे के स्वामित्व और नियंत्रण वाली रेलों पर लागू नहीं होंगे। इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस अधिनियम के अंतर्गत अपने संबंधित नियम अधिसूचित करने होंगे। 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अधिनियम के अंतर्गत नियमों को अधिसूचित कर दिया है। तेलंगाना ने नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया है ।

(ख): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों का पालन करने हेतु राजस्थान सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर परामर्शिका जारी करता है ।

****